न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर..ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 013/2018

1. अजय कुमार } पुत्रान श्री रामचन्द्र } जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व
2. अरविन्द कुमार } पुत्रान श्री रामचन्द्र } जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व
3. शकुन्तला देवी पत्नी श्री रामचन्द्र } जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व

जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. रामचन्द्र पुत्र श्री रावताराम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री तरूण अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.06.2018

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम.एल. की खतौनी संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 सालम कुल 4.807 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में 1.012 हैक्टर कुल दोनों मुरब्बो में 5.819 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 शामिल वाद पत्र है।

उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह जद्दी जायदाद है जो विरास्तन वादी संख्या 1 व 2 के पिता को प्राप्त है नकल इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 31.07.1955 की प्रति साथ संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो बेहद खर्चीले स्वभाव का है व बिना किसी घरू आवश्यक्ता के संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करना चाहता है पूर्व में उसनें ओने पोने दामों में भूमि का इकरारनामा कर लिया था जिसका पता चलनें पर परिवार के नजदीकी रिश्तेदारों व मित्रों द्वारा ईकरारनामा कैसिंल करवाया लेकिन अब फिर से प्रतिवादीगण जबरन उपरोक्त जद्दी जायदाद को खुर्द बुर्द करनें की फिराक में है।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की समस्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है लेकिन उपरोक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से होनें से व वादीगण के नाम न होनें से लगान व आबियाना देनें में व पानी की भराई खिचाई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते पैदा होती है व बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पूरा फायदा नहीं मिल

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

पाता है, इस कारण हक व हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार प्रत्येक पक्ष के हक व हिस्सा अनुसार रकबा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है घरू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 नें कुछ हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के नाम करवा दिया था बाकि उनके हक व हिस्से का रकबा रह गया है उसको भी वादीगण के नाम दर्ज करवाना आवश्यक व जरूरी है।

घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार आया है :–

(क) वादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 14 व 17 कुल 0.506 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 15 व 16 कुल 0.506 हैक्टर।

(ग) वादी संख्या 3 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 5, मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 4 में कुल 1.012 हैक्टर कुल दोनों मुरब्बो में 1. 265 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 6, मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 7 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.289 हैक्टर कुल दोनों मुरब्बो में 3.542 हैक्टर।

वादीगण नें कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरेलु बंटवारा अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हक हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के लिये आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि सबका खाता विभाजन होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो जावे। पहले तो आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये बस यही बिनाय दावा है जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है।

वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 जो आपस में सगे पिता पुत्र है जद्दी जायदाद में घरू बंटवारा कर रहे है जिसमें वादिया संख्या 3 का भी कानूनन हक व हिस्सा बनता है जिसको वह पानें की अधिकारिणी है।

प्रतिवादी संख्या 1 को इस बात का इल्म होनें पर कि जद्दी जायदाद में उसके नाम उसके हक व हिस्सा से ज्यादा रकबा दर्ज है इस कारण उसके मन में बदनियती आ गई है इसलिये वह रकबा को रहन बैय करनें की फिराक में है अगर उसके द्वारा बिना पारिवारिक आवश्यक्ता के रकबा रहन बैय कर दिया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। वादीगण अपनें हक व हिस्सा से महरूम हो जावेगें और आयंदा मुकदमा बाजी बढेगी इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है।

वादीगण को घरू बंटवारा अनुसार अपना हक व हिस्सा घोषित करवानें व राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन करवाने के लिये दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार नहीं है इसलिये वादीगण दावा पेश करनें के अधिकारी है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार है।

(ख) इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह दौरानें दावा अपनें हक व हिस्से से ज्यादा रकबा को रहन बैय अन्य किसी दिगर तरिके से मुन्तकिल नहीं करें।

(च) अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के पक्ष मे हो प्रदान करवाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 30.04.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री पवन शाक्य अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री तरूण अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादीगण एवम् प्रतिवादी आपस में सगे मां पिता बेटे भाई है पंचायत व मौतबिरान व्यक्तियों के द्वारा हमारा आपस में राजीनामा करवा दिया है राजीनामा के अनुसार निम्न रकबा पक्षकारान को आया है।

(क) वादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 14 व 17 कुल 0.506 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 15 व 16 कुल 0.506 हैक्टर।

(ग) वादी संख्या 3 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 5, मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 4 में कुल 1.012 हैक्टर कुल दोनों मुरब्बो में 1.265 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 6, मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 7 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.289 हैक्टर कुल दोनों मुरब्बो में 3.542 हैक्टर।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए दावा का निस्तारण किया जावे।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवम् प्रतिवादी सयुंक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है वादी उभयपक्ष द्वारा अपनी काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सहमती से बंटवारा किया गया है अतः उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया उभयपक्ष एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अर्न्तगत उभयपक्ष में हुए राजीनामा के अनुसार वादी में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 19 एम.एल. में 5.819 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 को 0.506 हैक्टर, वादी संख्या 2 को 0.506 हैक्टर वादी

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

संख्या 3 को 1.265 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अर्न्तगत उभयपक्ष में हुए राजीनामा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 अजय कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
19 एम.एल.	44/44	2	14/.253, 17/.253	0.506 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 अरविन्द कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
19 एम.एल.	44/44	1	15/.253, 16/.253	0.506 हैक्टर

3. वादी संख्या 3 शकुन्तलादेवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
19 एम.एल.	44/44	1	5/.253,	0.253 हैक्टर
		2	1/.253, 2/.253, 3/.253, 4/.253	1.012 हैक्टर
			कुल भूमि :–	1.265 हैक्टर

1. प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रावताराम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
19 एम.एल.	44/44	1	6/.253,	0.253 हैक्टर
		2	7/.253, 8/.253, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253, 13/.253, 18/.253, 19/.253, 20/.253, 21/.253, 22/.253, 23/.253	3.289 हैक्टर
			कुल भूमि :–	3.542 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 18 एम.एल. के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर